असाधारण

रजिस्ट्रेशन नं. जे के–33

सत्यमेव जयते

जम्मू और कश्मीर अधिकारिक राजपत्र

खंड–138] जम्मू, मंगलवार, 07 अक्तूबर, 2025/15 अश्विन, 1947. [सं. 28–24

इस भाग को अलग पृष्ठीकरण दिया गया है ताकि इसे एक अलग संकलन के रूप में दर्ज किया जा सके ।

भाग ।।—सी

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचनाएं, सूचनाएं एवं आदेश।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

सं. 52/2025/एसडीआर/खंड–।। क दिनांक : 7 अक्तूबर, 2025

अधिसूचना

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के खंड (ग) के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कोविड–19 संदिग्ध या प्रभावित ऐसे व्यक्ति, जो डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए आवेदन करते हैं और जो संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसके अनुरोध का सत्यापन किए जाने की शर्त के अधीन हैं,

इस विषय पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों एवं दिशानिर्देशों के साथ पठित, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ.सं. 1964 (अ.) दिनांक 19 जून, 2020 के जरिए यथासंशोधित, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के भाग ।।। क, के उपबंधों के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के अंतर्गत 10.10.2025 और 13.10.2025 को अधिसूचित किए जाने वाले **बिहार विधानसभा के वर्तमान साधारण निर्वाचन और 7 राज्यों के 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों (अनुलग्नक 1 के अनुसार)** के उप निर्वाचनों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए व्यक्तियों की एक श्रेणी होंगे।

आदेश से,

ह/-

एस. बी. जोशी
प्रधान सचिव

सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित ।

ह./-

अनिल सलगोत्रा (ज.क.प्र.से.),
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
जम्मू—कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र।

अनुलग्नक—1

क्रम सं.	राज्य	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम
1.	जम्मू तथा कश्मीर	27—बडगाम
2.		77—नगरोटा
3.	राजस्थान	193—अंता
4.	झारखण्ड	45—घाटशिला(अ.ज.जा.)
5.	तेलंगाना	61—जुबली हिल्स
6.	पंजाब	21—तरन तारन
7.	मिजोरम	2—डम्पा(अ.ज.जा.)
8.	उड़ीसा	71—नुवापाडा